

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प्रशि./जीएनएम/जी-88 (पार्ट-1)/2015/ 1494

दिनांक : 08.10.2015


"काउंसलिंग विज्ञप्ति"

"जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2015-16 की द्वितीय ऑनलाईन काउंसलिंग "

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जीएनएम प्रशिक्षण कोर्स सत्र 2015-16 में प्रवेश हेतु राजकीय/निजी प्रशिक्षण केन्द्रों में निर्धारित सीटों के लिए ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी/जांच के पश्चात् आरक्षण की श्रेणीवार राज्य स्तरीय वरियता के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बॉयलोजी विषय गुप के 35 प्रतिशत तक एवं अन्य वर्ग की श्रेणी के बॉयलोजी विषय गुप के 40 प्रतिशत तक तथा अन्य विषय गुप के सभी श्रेणियों के 50 प्रतिशत तक के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन काउंसलिंग में सम्मिलित किया गया है।

योग्य अभ्यर्थियों की सूची, निजी प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम एवं ऑनलाईन ऑप्शन फॉर्म विभागीय वैबसाईट www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध है। अग्रिम फीस पेटे जमा राशि रु. 10,000/- ई मित्र/सीएससी कियोस्क केन्द्र/नेट बैंकिंग/पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से शुल्क जमा कराकर 16 डिजीट का टोकन न0 प्राप्त करे अथवा बैंक ऑफ बडौदा की किसी भी ब्रांच से चालान द्वारा अग्रिम फीस 10,000/- जमा कराने के पश्चात् ही ऑनलाईन ऑप्शन फॉर्म भर सकते है। निजी प्रशिक्षण केन्द्रों एवं राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में रिक्त रही शेष सीटों की दिनांक 26.10.2015 एवं 27.10.2015 को काउंसलिंग की जायेगी। प्रशिक्षण केन्द्रों का आवंटन राज्य स्तरीय मेरिट व अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्प के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्र पर सीट रिक्त होने की स्थिति में ही किया जायेगा।

किल्ले कि विरुद्ध पा
मले के तिदि 9.10.2015 से 24.10.2015 तक
की तिदि मिर्किते हैं।



(श्यामलाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

44
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर